



टी बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार
14, बी.टी.एम. सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
www.teaboard.gov.in

दिनांक: 23.09.2021

कार्यालय ज्ञापन सं 78/2021

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री के.पी.विजयकुमार, (वी-43), संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्ची से संबद्ध, 31.07.2022 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। टी बोर्ड उप-नियम, 1955 (यथा संशोधित) के उप-नियम 30 के अनुसार, एफआर 56 (ए) के साथ पढ़ा जाता है, उन्हें 31.07.2022 के अपराह्न से बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाएगा।

श्री विजयकुमार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, नियमों के तहत सभी प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं जिसके वे हकदार हैं, जिसमें परिवर्तित/अर्धवेतन अवकाश भी शामिल है। तथापि, यदि वह भारत के भीतर बिताते हैं तो उन्हें एक बार में 300 दिनों से अधिक के अर्जित अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिनांक 25.09.2008, को जारी भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 14028/3/2008-स्था (एल) के अनुसार यदि वह चाहे तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान भी किया जा सकता है (बशर्ते कुल अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा)।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:

1.	श्री के.पी.विजयकुमार, (वी-43), संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक टी बोर्ड, कोच्ची	
2.	डीडीटीडी, टी बोर्ड, सिलिगुड़ी	
3.	वि.स एवं मु.ले.अ.	
4.	लेखा अधिकारी (वेतन व रोकड़)	
5.	अवकाश अनुभाग	
6.	प्रभारी, पेंशन व पीएफ अनुभाग	
7.	सचिवालय शाखा	
8.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड के अनुरोध सहित
9.	टीबीओए/टीबीइए	
10.	टी बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड, कोलकाता	
11.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों के लिए

सं.फाइल सं. 21(1)/स्था/2020